



Neutral Citation No. -2026: AHC:124275

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18884/2026

शादाबआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	: विवेक सिंह
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री विवेक सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री जी.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन विचारण की लंबित अवधि के दौरान आवेदक को वाद अपराध संख्या 351/2026, अंतर्गत धारा 111(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/5/7/12/25 आयुध अधिनियम, थाना-लिसाड़ी गेट, जनपद- मेरठ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई अभियोगात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 111(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध गठित करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा आवेदक के पास से केवल एक देशी तमंचा बरामद होना बताया गया है तथा इसके अतिरिक्त घटना स्थल से एक हैंड कटर, एक छोटा ग्राइंडर तथा एक साँ कटर जैसी कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद होना दर्शाया गया है, तथापि, न तो आवेदक के कब्जे से और न ही घटना स्थल से कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध तीन आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण आवेदन पत्र के ज्ञापन में दिया गया है। आवेदक दिनांक 11.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, तथापि, यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्ति है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के पास से एक देशी तमंचा बरामद होना बताया गया है तथा घटना स्थल से एक हैंड कटर, एक छोटा ग्राइंडर एवं एक साँ कटर जैसी आपत्तिजनक सामग्री बरामद होना दर्शाया गया



है, तथापि, न तो आवेदक के कब्जे से और न ही घटना स्थल से कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। यह भी अभिलिखित है कि आवेदक के विरुद्ध तीन आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण आवेदन पत्र के ज्ञापन में दिया गया है। आवेदक दिनांक 11.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबित संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में प्रतिपादित जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **शादाब** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण/अन्वेषण में निष्ठा से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा कराया जाएगा।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।



12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की नीतिगत रणनीति, *इन री: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021*, में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31.01.2023 को निर्णीत, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

01 जून, 2026

अभिषेक

Translated version . Not for legal use.